भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 40**

17.07.2017 को उत्‍तर के लिए

**आनुवांशिक रूप से परिवर्धित** **सरसों की बुआई की अनुमति**

40. श्री के॰ सी॰ राममूर्तिः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगामी रबी के मौसम से आनुवांशिक रूप से परिवर्धित संरसों की बुआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति आनुवांशिक रूप से परिवर्धित फसलों के विषय पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो समिति के किसी प्रतिवेदन पर विचार किए बिना ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आनुवांशिक रूप से परिवर्धित सरसों के संबंध में उच्‍चतम न्यायालय में एक मामला लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में किस प्रकार कार्रवाई करने की योजना है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉ. हर्ष वर्धन)**

(क) जी नहीं ।

(ख) जी हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी विभागीय संसदीय स्‍थायी समिति आनुवांशिक रूप से परिवर्धित फसलों के विषय की जांच कर रही है।

(ग) उपरोक्‍त (क) में दिए गए उत्‍तर के आलोक में प्रश्‍न नहीं उठता।

(घ) और (ड.) भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के समक्ष आनुवांशिक रूप से परिवर्धित फसलों और संबंधित मुद्दों के संबंध में एक रिट (सिविल) याचिका 260/2005 विचाराधीन है। तथापि, माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा आनुवांशिक रूप से परिवर्धित फसलों को जारी किए जाने पर कोई रोक अथवा स्‍थगन नहीं लगाया गया है।

\*\*\*\*\*\*